श्री अंकित त्यागी, सहायक अभियन्ता
pl reply suitably
11/06/24

समक्षः जन सूचना अधिकारी
कार्यालय पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड
उपकेन्द्र 765/400/220 के0 वी0 उपकेन्द्र
रुड़की रोड मटौर दौराला जिला मेरठ

सूचना हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सम्बन्धितः– DC-1 खसरा न0 41 ग्राम अच्छेजा त0 हापुड़ जिला हापुड़ वर्ष 2022 माह जून मे खम्बा लगाया के सम्बन्ध मे संलग्न नोटिस दि0 19/5/2022 से सम्बन्धित

वांछित प्रश्न–

(1) खसरा न0 41 व 42 मे 1592.01 वर्ग मीटर DC-1 मे लिया गया है मे प्रदीप त्यागी, कुलदीप त्यागी पुत्रगण बलराज का 85% के हिसाब से कितना जमीन मुआवजा बनाया गया तथा कितना दिया गया खसरा न0 42 मे

(2) उपरोक्त DC-1 का खम्बा खसरा न0 41 मे कितनी भूमि मे बनाया गया है कितना मुआवजा 85% के हिसाब से बनाया गया जगदीश, सीताराम, रामौतार जगदीश पुत्रगण स्व0 चमन सिंह व रामेश्वर, मूलचन्द पुत्रगण स्व0 रघुनन्दन सिंह के हिस्से मे कितनी-2 धनराशि का भुगतान किया गया।

(3) उपरोक्त खम्बो पर विद्युत लाइन तारो को खींचते समय तारो के नीचे कितने मीटर चौड़ाई का फसल नुकसान का मुआवजा नियमानुसार दिया जाता है या दिया गया है।

(4) DC-2 से DC-1 मे LI-210 व LO-210 की दूरी अलग-2 कितने किलोमीटर है [illegible]

मै घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वांछित सूचना लोक दस्तावेज प्रदत्त किया जाना सूचना अधिकार अधिनियम के किसी प्रावधान से बाधित नही है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ अंकन 10/–रूपये के पोस्टल आर्डर वास्ते सूचनार्थ व सूची प्राप्ति हेतु नियमानुसार शुल्क सलंग्न है। पोस्टल आर्डर न मिलने के कारण 10 रुपया नोट न0 99S/137149 लगाया जा रहा है

प्रार्थी
Durga
DURGA MAHESHWARI
Advocate
30/5/2024
Regd. No. ...
Ch. No. 13.., Civil Court Hapur

रिज़र्व बैंक
दस रुपये
137189
RESERVE BANK OF INDIA
GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT
मैं धारक को
दस रुपये
अदा करने का
वचन देता हूं।
गवर्नर
I PROMISE TO
PAY THE BEARER
THE SUM OF
TEN RUPEES
GOVERNOR
RESERVE BANK OF INDIA
₹10
99S 137189
महात्मा गांधी
MAHATMA GANDHI
₹10

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पता : प्लाट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

नं. 03

नोटिस

क्रमांक 123

(देखें : विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 68 एवं 164 : भारतीय तार अधिनियम, 1885 का भाग – III, के साथ पठित और विद्युत नियम, 1956)

क्रमांक : NOTICE NO.: NR1/PMSTL/ दिनांक : 19.05.2022

प्रति,

लोकेशन नंबर : D/C 1/0 & LI (2/0)

संचरण पथ का नाम : 765/400 KV मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लाईन

प्रिय महोदय / महोदया,

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.12.2003 जो कि भारतीय राजपत्र में प्रकाशित है, द्वारा केन्द्र सरकार ने पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) को स्थापित या अनुरक्षित विद्युत लाईन अथवा विद्युत के संचरण के लिये स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाईन अथवा दूरभाष या तार द्वारा संसूचना के प्रयोजनार्थ, जो कार्यो के उचित समन्वयन हेतु आवश्यक हो, के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग – III के अंतर्गत "तार प्राधिकारी" हेतु निहित समस्त शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया है।

एतद द्वारा नोटिस दी जाती है कि ऊपर चिन्हाकिंत (✓) संचरण लाईन आपकी निम्नलिखित संपत्ति से गुजरेगी। ऊत्क संचरण लाईन के निर्माण / अनुरक्षण के दौरान हालाकि इस बात की अत्यंत सावधानी बरती जायेगी, कि वृक्षों और / या फसलों को यथा सम्भव कम से कम क्षति पहुंचे फिर भी कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार गिराये गये / काटे गये वृक्षों / फसलों को आपको सौंप दिया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। गिराये गये वृक्षों एवं वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसलों के उत्पाद हेतू आपको एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट / राजस्व विभाग या राजस्व विभाग द्वारा निर्णित किसी अन्य क्षम अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

* मुआवजे के बारे में जानकारी दे दी गई है।

Bingal

– तहसील का नाम हापुड़

– ग्राम का नाम अठेड़ा

– खसरा संख्या 41 & 43

– काटे जाने वाले वृक्षों या फसलों का ब्यौरा

– स्वामी का नाम रामेश्वर त्यागी

– पता अठेड़ा, हापुड़

श्रीमान जी अभी तक कोई बात नोटिस प्राप्त की बाबत नहीं लिखी है तथा खसरा नं. 41 व 43 [illegible] हूँ [illegible] [illegible] जब तक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

नोटिस प्राप्त की (स्वामी के हस्ताक्षर)

नाम

दिनांक

स्थान

[illegible] 19/5/2022

कृ० प्र० पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड के लिए और इसकी ओर से

हस्ताक्षर : आशीष कुमार

नाम :

पदनाम : कनिष्ठ अभियंता

स्थान : हापुड़

दिनांक : 19.05.2022

प्रतिलिपी : तहसीलदार एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसील हापुड़ जिला हापुड़ (गहा.)

आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित स्वामी के रिकार्ड से स्वामित्व का सत्यापन करते हुये गिराये गये, काटे गये वृक्षों / फसलों को हुई हानि का मूल्यांकन करने का कष्ट करें।